संख्या- 259 /2015-4315/नौ-5-2015-197बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ ।
(2) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत औरंगाबाद (बुलन्दशहर)/ नगर पंचायत कांठ (मुरादाबाद)/ नगर पंचायत हरिहरपुर/ नगर पालिका परिषद खलीलाबाद (संतकबीरनगर) ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना' के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ/ नगर पंचायत औरंगाबाद (बुलन्दशहर)/नगर पंचायत कांठ (मुरादाबाद)/नगर पंचायत हरिहरपुर/नगर पालिका परिषद खलीलाबाद (संतकबीरनगर) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 मे प्रस्तावित कार्यों की लागत रू0 680.60 लाख (रू छः करोड़ अस्सी लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु रू0 340.30 लाख (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	कार्य के विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	बुलन्दशहर	नगर पंचायत औरंगाबाद।	1. रावण मैदान के पास शमशान घाट का जीर्णोधार का कार्य।	34.80	17.40
			2. मौ0 रामनगर में के शमशान घाट का जीर्णोधार का कार्य।	35.00	17.50
			33. मौ0 अजीजाबाद में स्थित शमशान घाट का जीर्णोधार का निर्माण कार्य।	39.00	19.50
2	मुरादाबाद	नगर पंचायत कांठ	1. मुरादाबाद धामपुर हाईवे से शमशानघाट रोड मंजूर अहमद के खेत तक सी0सी0 टाईलस रोड निर्माण ।	30.00	15.00
			2. मंजूर अहमद के खेत से शमशानघाट तक सी0सी0 टाईल्स रोड निर्माण।	30.00	15.00
3.	संतकबीरनगर	नगर पंचायत हरिहरपुर	नगर पंचायत हरिहरपुर के अन्तर्गत शवदाह स्थल हेतु घाट, शेड, चबूतरा, प्रतीक्षालय, लकड़ी स्टोर, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था आदि के विकास के कार्य।	215.40	107.70

go samsan mangal font

		नगर पालिका परिषद खलीलाबाद।	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला बगहिया के इण्डस्ट्रियल एरिया (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) में स्थित अराजी नम्बर 1062 में अन्त्येष्टि हेतु घाट, शेड, प्रतीक्षालय, लकडी स्टोर, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था आदि विकास के कार्य।	203.50	101.75
4	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	लखनऊ शहर के अन्तर्गत महानगर वार्ड में स्थित वाल्मीकि शमशान घाट में अन्त्येष्टि स्थल हेतु घाट, हाल, टॉयलेट, बाउन्ड्रीवाल, शवदाह हेत प्लेटफार्म, लकडी स्टोर, प्रकाश, ,पेयजल व्यवस्था हेतु समरसर्बिल पम्प आदि विकास के कार्य।	92.90	46.45
			योग	680.60	340.30

(₹ तीन करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 05 जनवरी 2015 तथा 12 जून, 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।
6. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा ।
10. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
13. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
14. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तर्येष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-259/2015-4315(1)/नौ-5-2015-197बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त लखनऊ/ मुरादाबाद/ मेरठ/ बस्ती ।
3 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर/मुरादाबाद/संतकबीरनगर/लखनऊ ।
4. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर/मुरादाबाद/संतकबीरनगर/लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ/ अध्यक्ष/ नगर पंचायत औरंगाबाद (बुलन्दशहर)/ नगर पंचायत कांठ (मुरादाबाद)/ नगर पंचायत हरिहरपुर/ नगर पालिका परिषद खलीलाबाद (संतकबीरनगर) ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go samsan mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-23/07/2015

प्रेषण संख्या:- 259

आवंटन आदेश संख्या:- 001-259-2015-4315-9-5-2015-197B-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5440000 18949000	5440000 18949000
2	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 19632000	3000000 19632000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4645000 23655000	4645000 23655000
4	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20945000 24165000	20945000 24165000
	योग	वर्तमान प्रगामी	34030000 86401000	34030000 86401000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चालीस लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ चौसठ लाख एक हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी